

कार्यालय
निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 1489-1493 /जी- 78(स्थानान्तरण-2024)/2024-25

दिनांक- 08 जून 2024

आदेश


उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक-05 जनवरी 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक-2017 प्रख्यापित किया गया है, के प्राविधानानुसार विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित फार्मासिस्टों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	फार्मासिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री योगेन्द्र पँवार	रा0आ0चि0 खानपुर पश्चिम, उधमसिंहनगर	आ0आ0म0 नगर डीडीहाट, पिथौरागढ़	जनहित-धारा 7 (क)
2	श्री अतुल शंकर	रा0आ0चि0 विधौली, देहरादून	आ0आ0म0 छडनदेव, पिथौरागढ़	जनहित-धारा 7 (क)
3	श्री अम्बिका सिंह	रा0आ0चि0 लाखामण्डल देहरादून	रा0आ0चि0 थल, पिथौरागढ़	जनहित-धारा 7 (क)
4	श्री अरुण कुमार वर्मा	रा0आ0चि0 भितोरा, उधमसिंहनगर	रा0आ0चि0 खिरमण्डे, पिथौरागढ़	जनहित-धारा 7 (क)
5	श्रीमती कविता देवी	रा0आ0चि0 चकलुवा, नैनीताल	रा0आ0चि0 बमस्युँ, अल्मोड़ा	जनहित-धारा 7 (क)
6	श्री संदीप कुमार	रा0आ0चि0 महुआडाबरा, उधमसिंहनगर	रा0आ0चि0 चहज, पिथौरागढ़	जनहित-धारा 7 (क)
7	श्री नरेन्द्र सेमवाल	रा0आ0चि0 कोटीसहसपुर देहरादून	रा0आ0चि0 मटेलामहादेव, अल्मोड़ा	जनहित-धारा 7 (क)
8	श्री अंकित कुमार	रा0आ0चि0 टनकपुर, चम्पावत	रा0आ0चि0 सल्ला, पिथौरागढ़	जनहित-धारा 7 (क)
9	श्री देवेश्वर विजल्लवाण	रा0आ0चि0 महुआखेडागंज, उधमसिंहनगर	रा0आ0चि0 राजगढ़ी, उत्तरकाशी	जनहित-धारा 7 (क)
10	श्रीमती पूनम गुर्साँई	रा0आ0चि0 नथुवावाला, देहरादून	रा0आ0चि0 रोहिडा, चमोली	जनहित-धारा 7 (क)
11	श्री जगवीर सिंह राणा	रा0आ0चि0 सोनी अल्मोड़ा	रा0आ0चि0 जिव्यादशगी उत्तरकाशी	अनुरोध धारा 17 (ख)(1)
12	श्रीमती बन्दना	रा0आ0चि0 झुपलचौरा	रा0आ0चि0 जाखणीघार टिहरी	अनुरोध धारा 17 (ख)(1)
13	श्रीमती नीता राणा	आ0है0वै0से0 दसौला, अल्मोड़ा	रा0आ0चि0 कोटीसहसपुर देहरादून	अनुरोध धारा 17 (ख)(4)
14	श्री रविन्द्र पटियाल	आयुष विंग देवथल, पिथौरागढ़	रा0आ0चि0 मेहरखोला पिथौरागढ़	अनुरोध धारा 17 (ख)(6)
15	श्री चन्द्रपाल सिंह	रा0आ0चि0 सल्ला पिथौरागढ़	रा0आ0चि0 तरपालीसौण, पौड़ी	अनुरोध धारा 17 (ख)(6)
16	श्री अनूप कुमार	रा0आ0चि0 सनगाड़ बागेश्वर	रा0आ0चि0 आदिबद्री चमोली	अनुरोध धारा 17 (ख)(6)
17	श्रीमती अर्चना बगवाडी	रा0आ0चि0 रोहिडा, चमोली	रा0आ0चि0 नथुवावाला, देहरादून	अनुरोध धारा 17 (ख)(4)
18	श्री संजय दत्त	रा0आ0चि0 सैज वागेश्वर	रा0आ0चि0 नलगौँव, चमोली	अनुरोध धारा 17 (ख)(6)
19	श्री पवन कुमार	रा0आ0चि0 जाखणीघार टिहरी	रा0आ0चि0 महुआखेडागंज, उधमसिंहनगर	जनहित में धारा-10(क)
20	श्री नीरज किमोटी	रा0आ0चि0 नलगौँव, चमोली	रा0आ0चि0 लाखामण्डल देहरादून	जनहित में धारा-10(क)
21	श्री पृथ्वी सिंह	रा0आ0चि0 तरपालीसौण, पौड़ी	रा0आ0चि0 खानपुर पश्चिम, उधमसिंहनगर	जनहित में धारा-10(क)
22	श्री प्रकाश चन्द्र	रा0आ0चि0 जोरासी पिथौरागढ़	रा0आ0चि0 चकलुवा, नैनीताल	जनहित में धारा-10(क)
23	श्री सरजीत कुमार आर्य	रा0आ0चि0 किमोली, चमोली	रा0आ0चि0 विधौली, देहरादून	जनहित में धारा-10(क)
24	श्री सतेन्द्र कुमार	रा0आ0चि0 गुरना वागेश्वर	रा0आ0चि0 भितोरा, उधमसिंहनगर	जनहित में धारा-10(क)
25	श्री अजय राणा	रा0आ0चि0 जिव्यादशगी उत्तरकाशी	रा0आ0चि0 महुआडाबरा, उधमसिंहनगर	जनहित में धारा-10(क)
26	श्री मनीष चन्द्र	रा0आ0चि0 आदिबद्री चमोली	रा0आ0चि0 मझौला उधमसिंहनगर	जनहित में धारा-10(क)
27	श्री मनोज व्यास	रा0आ0चि0 राजगढ़ी उत्तरकाशी	रा0आ0चि0 बिडोरा, उधमसिंहनगर	जनहित में धारा-10(क)
28	श्री ओमप्रकाश	रा0आ0चि0 गैरखेत, अल्मोड़ा	रा0आ0चि0 टनकपुर, चम्पावत	जनहित में धारा-10(क)
29	श्री सोमादित्य	रा0आ0चि0 छडनदेव पिथौरागढ़	रा0आ0चि0 कियोली, चमोली	अनुरोध धारा 17 (ख)(1)

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त/कार्यमुक्त होंगे। स्थानान्तरित कार्मिक धारा-22(12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समायान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (JOINING TIME) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

Handwritten signature/initials


3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिवस के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिसके द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया जायेगा।

 08/06/24

(डा० विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1. सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धि जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

 08/06/24

(डा० विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक